

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 319] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 10, 1979/आश्विन 18, 1901
No. 319] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 1979/ASVINA 18, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1979

सीमा-शुल्क

सं० का० वि० 576(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने
पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

1228 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

की अधिसूचना सं० 117-सीमाशुल्क [सं० सा० का० नि० 318(अ)], तारीख 9 जून, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुसूची में, क्रम सं० 34 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"34.	लोहे या इस्पात के कोण आकार और सेक्शन, जो तप्त वेल्डित, गढ़े हुए, बहिर्विधित शीत प्ररूपित या शीत परिरक्षित हो; लोहे या इस्पात की पत्तर वाली पाइपिंग जो चाहे बर्मा की हुई, छिद्रित अथवा समायोजित तराई से बनाई गई हो या नहीं। शीर्ष सं० 73.06/07 से 73.14 तक में वर्णित रूपों में मिश्रधातु वाला इस्पात और अधिक कार्बन वाला इस्पात, लोहे या इस्पात के ट्यूब और पाइप फिटिंग (उदाहरणस्वरूप, जोड़, ऐल्बा, यूनियन और कनेज) इसके अन्तर्गत बिलेट (प्राथमिक और द्वितीयक) बिलेट कतरनें, फुल्लिकाएँ और पट्टियाँ भी हैं।	73.06/07, 73.08, 73.09/10, 73.11, 73.15 और 73.20".

[अधि० सं० 206/का० सं० 602/36/78-डीबीके]

के० एस० बैकटरमणी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

(Indirect Taxes Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 117-Customs [No. GSR 318(E)], dated the 9th June, 1978, namely :—

In the said notification, in the First Schedule, for Serial No. 34 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"34.	Angles, shapes and sections, of iron or steel, hot-rolled, forged, extruded, cold-formed or cold-furnished; sheets piling of iron or	73.06/07, 73.08, 73.09/10, 73.11, 73.15 and 73.20".

steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements. Alloy steel and high carbon steel in the forms mentioned in Headings Nos. 73.06/07 to 73.14. Tubes and pipes fittings (for examples, joints, elbows, unions and flanges), of iron or steel including billets (prime and seconds), billet cuttings, blooms and slabs.

[NOTIFICATION No. 206/F. No. 602/36/78-DBK.]

K.S. VENKATARAMANI, Dy. Secy.

